

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 383/2019

1. दलजीतसिंह } पि0 साधुसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 1 एस.आर
2. जगदीश सिंह } डबल्यू नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. अमरजीतसिंह पुत्र श्री संतोखसिंह } जाति कम्बोज सिख निवासी चक 1 एस.आर.डबल्यू
2. मलकीत कौर पत्नी संतोखसिंह } नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बलविन्द्रसिंह थिन्द वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 12 सीडीआर के वर्तमान खाता सं0 208/48 में प्रतिवादीसं0 1 के नाम से दर्ज .253 है0, चकनं0 1 एसआर डबल्यू के खाता सं0 33/72 में प्रतिवादीसं0 1 के नाम से दर्ज .643 है0 तथा प्रतिवादी सं0 2 के नाम से दर्ज .156 है0 तथा चकनं0 1 एस आर डबल्यू के खाता सं0 6/183 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से 0.210 है0 कृषि भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार वादीगण का नाम ब0हि0ब0 दर्ज कर खाता हाजो में से प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा
करें।

बसबत मेरे दस्तखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...18-12-19...को जारी
किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी